न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/10/2024	2024/62	22.08.2024	04.06.2025

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र बच्चू सिंह राजपूत निवासी सैथली तह. व जिला अलवर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. भू आवंटन सलाहकार समिति जर्ये उपखण्ड अधिकारी, अलवर राज०।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशन लाल जाति चमार साकिन चिकानी उप तह0 बहादरपुर जिला अलवर (राज0)।
3. हरिसिंह पुत्र किशनलाल जाति चमार साकिन चिकानी उप तह0 बहादरपुर जिला अलवर (राज0)।
4. सुमरती पुत्री किशन लाल जाति चमार साकिन चिकानी उप तह0 बहादरपुर जिला अलवर (राज0)।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.09.1975

उपस्थितः—

01—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान —वकील प्रार्थीगण
02—श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक —पैरोकार सरकार
03—श्री अजय कौशिक —वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3

—:निर्णयः—

वकील प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 04.09.1975 जिसके द्वारा हाल आराजी खसरा न0 449 रकबा 0.22 है0, 456 रकबा 0.19 है0, 459 रकबा 0.59 है0, 541/656 रकबा 0.16 है0, 447/659 रकबा 0.10 है0 किता 5 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सैथली तहसील व जिला अलवर की भूमि का आंवटन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 के पक्ष में किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस वकुलाया सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 311/464 वाके ग्राम सैथली तहसील अलवर वर्ष 04.09.75 में श्री किशनलाल पुत्र बुद्धा जाति चमार को 5 बीघा भूमि आंवटन की गई थी जिसके हाल खसरा नम्बर 447/659 रकबा 0.10 बारानी, 449 रकबा 0.22 गै. मु. सडक, 456 रकबा 0.19, 459 रकबा 0.59 है0, 541/656 रकबा 0.16 है. बारानी, किता 5 रकबा 1.26 है0 कायम किये गये है। आवंटी की मृत्यु के बाद ओमप्रकाश, हरिसिंह पुत्रान एवं सुमरती पुत्री किशन लाल बतौर गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं। 50 वर्ष पश्चात आदिनांक आवंटी तथा अब आवंटी के वारिस बतौर गैर खातेदार ही दर्ज है। आवटंन नियम के अनुसार मौके पर काबिज होने पर ही खातेदारी का आंवटी हकदार हो सकता है आवन्टी को कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा न ही काश्त की गई। आवंटी को वास्त में भौतिक कब्जा दिया ही नहीं गया न ही आवंटन का पट्टा आवंटी को प्रदत्त किया गया। आवंटी के पास आदिनांक पट्टा फीस रसीद या असल पट्टा भी उपलब्ध नहीं है। नामांतरण संख्या 154 गैर खातेदारी के कालम संख्या 14 में पट्टा संख्या दिनांक अंकित नहीं है तथा निर्णय नामांतरकरण में कब्जा बाबत एंव पट्टा बाबत कोई टिप्पणी नही की गई है।

आवंटी/अप्रार्थी कभी भी ग्राम सैथली या पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है वास्तव में आवंटी/अप्रार्थीगणों का इस आराजी से कोई वास्ता नहीं रहा है। वक्त आवंटन उक्त आराजी कब्जेरहित नहीं थी। प्रार्थी एवं उसके परिजनों अर्से दराज से काबिज कब्जा कास्त में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रहे है प्रार्थी का स्वयं का पैत्रिक आवास 3 पीढी से रिहायशी जिसमें प्रार्थी मय परिवार रह रहा है। जो खसरा नम्बर 459 में मौके पर आवासीय मकानात बने हुये है इसी में एक मंदिर आवासीय मकानों के सामने तथा मवेशीयों के बाडे तथा एक हैण्डपम्प भी लगा हुआ है। अप्रार्थीगणों का कब्जा न होने के कारण गैर खातेदार रिकार्ड में दर्ज है। आवटंन पूर्व पंचायत एंव गाँव के मुख्य स्थान पर आवंटन की विज्ञाप्ति भी चस्पा नही की गई थी। आवंटन में कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई न्यायिक तथ्यों के विपरित आवंटन किया गया है।

उक्त खसरा नम्बर 311 का साविक 2020 से पूर्ण खसरा नम्बर 252 था जो वक्त जागीर से ही प्रार्थी के दादा श्री रूपसिंह के कब्जे कास्त में रही है। अतः 3 पीढीयों से प्रार्थी काबिज है। साविक खसरा नम्बर 311 पर राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व से ही प्रार्थी एंव उसके परिजनों का कब्जा कास्त रहा है जो पुस्तेनी है जिसमें ख़सरा नम्बर 459 में प्रार्थी के आवासीय मकान तथा मंदिर एंव हैण्ड पम्प भी लगा हुआ है। इस खसरा 311 के नये कुल 5 खसरे दर्ज किये गये है जिनमें खसरा नम्बर 449 में पक्की डाम्बर राज्य सडक है जो अनेक गाँवों को जोडती है। जिस पर से सवारी बसो, टेम्पू का आना जाना लगा रहता है जो राजस्व रिकार्ड में भी गै०मु० सडक दर्ज है।

रिपोर्ट 06.05.2022 में पटवारी द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया है कि आवन्टी/अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नहीं है तथा खसरा नम्बर 449 में पक्की सडक तथा खसरा नम्बर 459 में मकानात मौके पर बने हुये है अत आवन्टी/अप्रार्थीगणों का आवटन निरस्त फरमाया जावे। आवन्टी किशनलाल द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 21.03.1987 को तहरीर किया है जिसमें आवन्टी ने स्वयं ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 311/464 ग्राम सैथली तहसील अलवर पर मेरा कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उसने इस आराजी पर नरेन्द्र सिंह के परिजनों का कब्जा जाहिर किया है आवन्टी का इस प्रकार अन्य वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में स्वेच्छा से यह स्वीकृति कि मेरा मौके पर कब्जा कास्त कभी भी नही रहा है। आवंटन नियमों का सरासर उलघंन है। अतः आवन्टी की स्वयं की स्वीकृति है कि उसने कब्जा कभी किया ही नही है। उक्त आवंटन काबिल खारिज है गत 50 वर्षो से प्रशासन द्वारा इसी कारण खातेदारी दिया जाना उचित नही समम्का गया है। अतः आवंटन खारिज काबिल है।

गत खसरा नम्बर 311/464 रकबा पांच बीघा हाल खसरा 447/659 रकबा 0.10 है०, 449 रकबा 0.22 है0, 456 रकबा 0.19 है., 459 रकबा 0.59 है. 541/656 रकबा 0.16 है0 कुल किता रकबा 1.26 है0 ग्राम सैथली तहसील अलवर जिला अलवर को वर्ष 4.09.1975 में किशनलाल पुत्र बुधा चमार निवासी चिकानी को आवंटन किया गया क्षेत्रफल वक्त आवंटन कब्जा रहित भूमि नही थी। विज्ञप्ति जारी नही की गई थी। आवन्टी गॉव या पंचायत का निवासी भी नही है आम खास को आवटन की कोई सूचना नही थी आवंटन बिना मौके जाँच किये किया गया जो भौतिक रूप से न्याय संगत नही था। यदि मौके की जॉच की जाती तो गै.मु. सडक जिस पर आम खास की आवक जावक है आवंटन कतई नही की जाती मौके पर रिहायशी मकान मंदिर तथा हैण्ड पम्प को अनदेखा कर आवंटन की कार्यवाही की गई जो कतई न्याय संगत नही है आवन्टी गाँव से बाहर का निवासी था पटवारी कि रिपोर्ट 6/5/22 तथा आवन्टी किशनलाल का दिनांक 31.03.87 का शपथ पत्र स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर आवन्टी का कब्जा नहीं रहा व भौतिक रूप से भी उसे मौका कब्जा दिया ही नही गया था। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। क्योकि आवंटी ने कभी भी 50 वर्षो में कब्जा कास्त की ही नहीं, अपितु कब्जा प्रार्थी का था।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे। विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में RRD 1982 PAGE 584, RRD 1985 PAGE 33, RRT 2018(1) PAGE 286 नजीरें पेश की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन-मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 447/659 रकबा 0.10 बारानी, 449 रकबा 0.22 गै. मु.

आ. [illegible] 15/6/15 [illegible]
[illegible]

सडक, 456 रकबा 0.19, 459 रकबा 0.59 है0, 541/656 रकबा 0.16 है. बारानी, किता 5 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सैथली उप-तहसील बहादरपुर, तहसील अलवर में स्थित है। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि वक्त आवंटन उक्त आराजी कब्जा रहित नहीं थी। आवंटी/अप्रार्थी कभी भी ग्राम सैथली या पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है तथा आवंटी व अप्रार्थीगणों का इस आराजी से कोई वास्ता नहीं रहा है। साबिक खसरा नम्बर 311/464 रकबा 05 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा नंबरा 447/659 रकबा 0.10 है०, 449 रकबा 0.22 है0, 456 रकबा 0.19 है., 459 रकबा 0.59 है. 541/656 रकबा 0.16 है0 कुल किता रकबा 1.26 है0 ग्राम सैथली तहसील अलवर जिला अलवर को दिनांक 04.09.1975 को किशनलाल पुत्र बुधा चमार निवासी चिकानी को आवंटन किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का चिकानी की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 व दि0 31.01.2025 के अनुसार उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि आवन्टी/अप्रार्थीगण व आवंटी के माता-पिता का मौके पर उक्त खसरा नंबरान पर लगभग 45-50 वर्षो से कभी कब्जा नहीं रहा है। मौके पर खसरा नंबर 447/659 रकबा 0.10 है0 में मकान बना हुआ है एवं अन्य उक्त खसरा नंबर 456 रकबा 0.19 है0, 459 रकबा 0.59 है0, 541/656 रकबा 0.16 है0 मौके पर पड़त है। आ0ख0नं0 449 रकबा 0.22 है0 पर मौके पर गैर मुमकिन सड़क बनी हुई है जो मौके पर चालू है। पत्रावली में संलग्न आवंटी किशनलाल द्वारा उक्त आराजी बाबत् एक शपथ पत्र दिनांक 21.03.87 को तहरीर कर उक्त आराजी को प्रार्थी के पिता बच्चूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत नि0 सैथली को रूपये 40 हजार में बेचान करना जाहिर किया गया है तथा कथन किया गया है कि खरीददार(प्रार्थी के पिता) का उक्त आराजी पर पहले से मौके पर कब्जा चला आ रहा है। आवंटी द्वारा उक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित किया है कि तत्कालीन समय पर उक्त आराजी की रजिस्ट्री होना बंद है, रजिस्ट्री खुलने पर वह (आवंटी) खरीददार (प्रार्थी के पिता) के हक में रजिस्ट्री कर देगा। इसके संबंध में पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 अुनसार उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी उक्त खसरा नंबरों का बेचान आवंटी के पिता द्वारा किया जाना बताया गया है। आवंटी द्वारा स्वेच्छा से यह स्वीकृति कि मेरा मौके पर कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है, आवंटन नियमों का उल्लंघन है। यदि मौके की जॉच की जाती तो गै.मु. सडक जो मौके पर चालू है, का आवंटन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 06.05.20222 व दिनांक 31.01.2025 तथा आवन्टी किशनलाल का दिनांक 21.03.87 का शपथ पत्र से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर आवन्टी/अप्रार्थीगण का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता को उक्त विवादित आराजी आवंटित की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 04.09.1975 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 04.09.1975 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नंबर से कम होकर तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)